**फार्म बी.एम.-9 (भाग-1)**

**पुनर्विनियोग की स्वीकृति के लिये आवेदन**

**(संदर्भ बजट मैनुअल का प्रस्तर-158 देखे)**

वित्तीय वर्ष 2023-24

अनुदान संख्या व नाम : 43-परिवहन विभाग (धनराशि लाख रूपये में)

निम्नलिखित निधियों से प्रस्तावित संक्रमण वित्त विभाग द्वारा भरा जायेगा

| लेखाशीर्ष (15 डिजिट कोड में) (पूंजीगत पक्ष) | आवेदन पत्र देने के दिनॉक पर उपलब्ध अनुदान/विनियोग | आवेदन पत्र देने के दिनॉक पर उपलब्ध बचत | संक्रमित की जाने वाली धनराशि | वित्त विभाग द्वारा संक्रमण हेतु अनुमोदित धनराशि | संक्रमण के पश्चात शेष अनुदान/विनियोग |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| **3055 00 001 03 00**<br>3055-सड़क परिवहन-00-001-निदेशन तथा प्रशासन-03-अधिष्ठान व्यय<br>01-वेतन | 14081.04 | 230.00 | 230.00 | 230.00 | 13851.04 |
| **3055 00 800 03 00**<br>3055-सड़क परिवहन-00-800-अन्य व्यय-03-मोटर एक्सीडेंट क्लेम ट्रिब्युनल<br>38-अन्तरिम सहायता | 225.00 | 130.00 | 130.00 | 130.00 | 95.00 |
| **योग-** | **14306.04** | **360.00** | **360.00** | **360.00** | **13946.04** |

निम्नलिखित निधियों में प्रस्तावित संक्रमण वित्त विभाग द्वारा भरा जायेगा

(धनराशि लाख रूपये में)

| लेखाशीर्ष (15 डिजिट कोड में) (पूंजीगत पक्ष) अनुदान संख्या-43 | वित्तीय वर्ष के लिये उपलब्ध अनुदान/ विनियोग | वित्तीय वर्ष में कुल प्रत्याशित व्यय | संक्रमण हेतु प्रत्याशित धनराशि (9-8) | वित्त विभाग द्वारा अनुमोदित संक्रमण की धनराशि | संक्रमण के पश्चात उपलब्ध अनुदान/ विनियोग (8+11) |
|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| **3055 00 800 03 00**<br>3055-सड़क परिवहन-00-800-अन्य व्यय-03-मोटर एक्सीडेंट क्लेम ट्रिब्युनल | | | | | |
| 15-गाड़ियों का अनुरक्षण और पेट्रोल आदि की खरीद। | 400.00 | 617.00 | 217.00 | 217.00 | 617.00 |
| 58-आउटसोर्सिंग सेवाओं हेतु भुगतान। | 900.00 | 1043.00 | 143.00 | 143.00 | 1043.00 |
| **योग -** | **1300.00** | **1660.00** | **360.00** | **360.00** | **1660.00** |

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेशइलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

**(1) बचत के कारण निम्नानुसार है :-**

**क- मद संख्या 01-वेतन :- कतिपय कार्मिकों के सेवानिवृत्त होने व कार्मिकों की भर्ती न होने के कारण।**

**ख-मद संख्या 38-अन्तरिम सहायताः-**नियुक्ति अनुभाग-4, उत्तर प्रदेश शासन के शासनादेश संख्या 359/दो-4-2023-45(1)/2020, दिनांक 30.06.2023 द्वारा द्वितीय राष्ट्रीय न्यायिक वेतन आयोग की संस्तुतियों को दिनांक 01.01.2016 से लागू किया गया है, के प्रस्तर-3 में उल्लेख है कि उत्तर प्रदेश राज्य के न्यायिक सेवा/उच्चतर न्यायिक सेवा के अधिकारियों को मा0 उच्चतम न्यायालय के आदेश दिनांक 27.03.2018 के क्रम में निर्गत नियुक्ति अनुभाग-4 के शासनादेश संख्या 776/दो-4-2019-45(3)/2015, दिनांक 17.12.2019 द्वारा स्वीकृत 30 प्रतिशत अन्तरिम राहत को समायोजित किये जाने के कारण।

**(2) व्यायाधिक्य के कारण निम्नानुसार हैं :-**

माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद द्वारा जनहित याचिका संख्या-4215/2018 में पारित निर्णय दिनांक 27.11.2018 के अनुपालन में मोटरयान अधिनियम, 1988 की धारा-165 के अधीन शक्तियों का प्रयोग करते हुए महामहिम राज्यपाल महोदय द्वारा मोटर दुर्घटना से सम्बन्धित दावो/मामलो के निस्तारण के लिए शासनादेश संख्या-77/तीस-3-2019, दिनांक 09.01.2019 द्वारा 71 जनपदों (अमेठी, अम्बेडकर नगर, श्रावस्ती व शामली को छोड़कर) में कुल 75 मोटर एक्सीडेंट क्लेम ट्रिब्यूनलों (लखनऊ, कानपुर प्रयागराज व मेरठ में 02 अधिकरण) की स्थापना का निर्णय लिया गया है, जो वर्तमान में स्थापित व संचालित हैं।

मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण योजना की विभिन्न मानक मदों पर व्यय हेतु वर्तमान वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिये परिवहन आयुक्त कार्यालय के पत्र दिनांक 07.11.2022 द्वारा कुल धनराशि रू 7241.07 लाख का आय-व्ययक अनुमान शासन के स्वीकृतार्थ प्रेषित किया गया, जिसके सापेक्षरू 5413.00 लाख का बजट प्रावधान स्वीकृत है, जिसमें से इस योजना की मद संख्या 15-गाड़ियों का अनुरक्षण और पेट्रोल आदि की खरीद में रू 675.00 लाख (शासनादेश संख्या 540/तीस-3-2021, दिनांक 26.08.2021 द्वारा प्रति पीठासीन अधिकारी के लिये इनोवा कार का बेस मॉडल तथा अधिकतम व्यय की धनराशि रू 75,000/-प्रतिमाह अनुमन्य है) तथा मद संख्या 58-आउट सोर्सिंग सेवाओं हेतु भुगतान में रू 1800.00 लाख (शासनादेश संख्या 1324/तीस-3-2019, दिनांक 26.07.2019 द्वारा अधिकरण हेतु 05 कार्मिकों की जनशक्ति स्वीकृत की गयी, जिसको कार्य की त्वरिता के दृष्टिगत सेवानिवृत्त कर्मचारियों अथवा आउटसोर्स के आधार पर रखे जाने की व्यवस्था की गयी है। सेवानिवृत्त कर्मचारियों को पारिश्रमिक के रूप में मिलने वाली धनराशि सम्बन्धित कर्मचारी के अन्तिम आहरित वेतन में से शुद्ध पेंशन की धनराशि राशिकरण के पूर्व यदि कोई हो, को घटाने पर प्राप्त होने वाली धनराशि के बराबर देय है) के बजट अनुमान के प्रस्ताव में बजट प्राविधान हेतु शामिल था, जिसके सापेक्ष उक्त मदों में क्रमशः 400.00 लाख व 900.00 लाख का बजट प्राविधान स्वीकृत हो पाने के कारण तथा परिवहन आयुक्त कार्यालय के पत्र दिनांक 20.07.2023 द्वारा कुल धनराशि रू 32288.75 लाख का अनुपूरक बजट का प्रस्ताव शासन के स्वीकृतार्थ प्रेषित किया गया, जिसमें एम0ए0सी0टी0 योजना की मद संख्या 15-गाड़ियों का अनुरक्षण और पेट्रोल आदि की खरीद में रू 275.00 लाख तथा 58-आउट सोर्सिंग सेवाओं हेतु भुगतान में रू 900.00 लाख के अनुपूरक बजट की माँग की गयी, किन्तु किन्ही कारणोवश इन मदों में अनुपूरक बजट प्रावधान अभी तक स्वीकृत न हो पाने के कारण।

परिवहन आयुक्त कार्यालय के प्रपत्र दिनांक 14.09.2023 तथा अनुस्मारक पत्र दिनांक 09.10.2023 द्वारा प्रदेश के समस्त पीठासीन अधिकारी, मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण को इस आशय का पत्र प्रेषित किया गया कि चालू वित्तीय वर्ष 2023-24 में व्यय की कतिपय मानक मदों में वास्तविक आवश्यकता का आंकलन कराकर आंकलित धनराशि की सूचना इस कार्यालय को प्रेषित करायें, अधिकरणों से प्राप्त सूचना के आधार पर संक्रमण हेतु प्रस्तावित मानक मदों यथा मद संख्या 15 में रू 217.00 लाख तथा 58 में रू 143.00 लाख अर्थात कुल धनराशि रू 360.00 लाख की आवश्यकता अनुमानित होने के कारण।

(3) प्रमाणित किया जाता है कि उपर्युक्त पुनर्वनियोग में उत्तर प्रदेश बजट मैनुअल के प्रस्तर-150 व 151 में निर्दिष्ट प्रतिबन्ध/परिसीमाओं का उल्लंघन नहीं होता है।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेशइलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

आर.ई.संख्या –बजट-1- 269, दिनाँक 27.12.2023

सेवा में,

महालेखाकार,
(लेखा एवं हकदारी) प्रथम, उत्तर प्रदेश,
इलाहाबाद।

ह0/-
(के0पी0 सिंह)
विशेष सचिव,
परिवहन विभाग।

ह0/-
(सिद्धार्थ श्रीवास्तव)
अपर निदेशक,
वित्त विभाग,
उ०प्र०शासन।

संख्या-02/2024/3002/तीस-3-2023 दिनॉक 01 जनवरी, 2024

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1- महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
2- महालेखाकार (लेखा परीक्षा) प्रथम/द्वितीय, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
3- परिवहन आयुक्त, उत्तर प्रदेश, लखनऊ को इस शर्त के साथ प्रेषित कि जिस मानक मद से पुनर्विनियोग का प्रस्ताव किया गया है, उसी मानक मद में चालू वित्तीय वर्ष में धनराशि के पुनर्विनियोग का प्रस्ताव नहीं किया जायेगा तथा यह भी सुनिश्चित किया जायेगा कि जिस मानक मद में धनराशि का पुनर्विनियोग किया जा रहा है, उस धनराशि का चालू वित्तीय वर्ष में पूर्ण उपयोग कर लिया जायेगा।
4- वरिष्ठ कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
5- निदेशक, वित्तीय एवं सांख्यिकीय निदेशालय, लखनऊ ।
6- वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-9
7- वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 (03 प्रतियों में)।
8- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,
ह0/-
(नितिन कुमार गुप्त)
अनु सचिव,
परिवहन विभाग।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेशइलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।